न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका), पूर्वी चम्पारण

कुण्डवा चैनपुर थाना कांड संख्या– 99 ⁄ 19

30.11.19

काराधीन अभियुक्त चंदन कुमार तथा रामबाबू साह की ओर से दाखिल दिनांक 29.11.2019 के जमानत आवेदन को चालित करते हुए इनके विद्वान विधिज्ञ श्री राजेश कुमार का कहना है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किए है। इनका यह भी कहना है कि प्राथमिकी के अवलोकन से धारा 394 भा.द.वि. का आरोप नहीं बनता है तथा प्राथमिकी के सह अभियुक्त के कहने पर अनुसंधान के दौरान इनका नाम आया है। इनका यह भी कहना है कि इनके पास से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है और न ही अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है और न ही घटना स्थल पर गिरफ्तार हुए हैं। अन्ततः इनका यह भी कहना है कि अभियुक्तगण दिनांक 27.11.2019 से कारा में है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाये।

प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुना।

चूंकि प्राथमिकी धारा 394 भा.दं.वि. क तहत अभियुक्त चन्द्रभूषण कुमार सिंह एवं तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत हुयी है तथा अनुसंधान के दौरान सह अभियुक्त चन्द्रभूषण कुमार सिंह के संस्वीकृति ब्यान के आधार पर इन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है तथा पुलिस द्वारा घोड़ासहन थाना कांड संख्या 322 ⁄ 19 से इन्हें इस कांड में रिमाण्ड किया गया है। वाद अनुसंधान में चल रहा है तथा अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तगण दिनांक 27.11.2019 से कारा में है। सह प्राथमिकी अभियुक्त चन्द्रभूषण कुमार सिंह के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा 392 भा.दं.वि. के तहत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। धारा 394 भा.दं.वि. अजमानतीय तथा संगीन अपराध है। तथा कांड दैनिकी के स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन कथन की पुष्टि की है तथा इनकी इस कांड में संलिप्तता बतायी गयी है।

अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त चंदन कुमार तथा रामबाबू साह ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी
सिकरहना स्थित ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 30.11.2019